

सेवा में,

श्रीमान रामराम अखिराम महोदय

मिल्लीडगढ़(राज)

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अर्थात् एन.अर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनुमान श्री शालमर पिता/पति श्री मिश्रा सुभाष
बनाम

राज्य सरकार जसिमें तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुमान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शालमर पिता/पति
मिश्रा सुभाष निवासी शामलहैडा का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का शामलहैडा के राजस्व ग्राम शामलहैडा में खाता संख्या 44
किता 1 रकबा 51.39-17 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम ब्रह्म पुत्र मिश्रा है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में शालमर ब्रह्म पुत्र मिश्रा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम शालमर ब्रह्म पुत्र मिश्रा के बजाय शालमर ब्रह्म पुत्र मिश्रा सुभाष दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक / /2025

शालमर

हरनाक्षर

प्रार्थी च अन्त

रिपोर्ट पटवारी हल्का शामलहैडा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री ब्रह्म पिता/पति मिश्रा सुभाष निवासी शामलहैडा
राजस्व ग्राम शामलहैडा पटवार हल्का शामलहैडा की जमाबन्दी ध्यान सं-232
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में शालमर ब्रह्म पुत्र मिश्रा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों 414
जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

शामलहैडा
पटवार हल्का अखिराम
तह. बरसी (वि.दि. 2025)

हस्ताक्षर शालमर

शालमर

कार्यालय तहसीलदार(भूअ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भूअ / 2025 /

दिनांक-11/10/2025

प्रेषित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ.

महोदय

निवेदन हे कि प्रार्थी/प्राधीयान श्री डा.सु पिता/पत्नि विद्या कुमारी निवासी आवंलहेडा पटवार हल्का आवंलहेडा के राजस्व ग्राम आवंलहेडा में जमाकंठी सन 2078-81 की खाता संख्या 444 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भूअनि ने सम्मानजनक जाति/नाम शालचन्द्र डर विद्या किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम शालचन्द्र डर का अकाल राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातिया/दोनों नाम एक ही व्यक्ति को है। विद्या कुमारी

जाति संशोधन की स्थिति में राज कानूनकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बस्सी

जिला चित्तौडगढ(राज)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/608

दिनांक-31/10/2025

निमित्त:

पटवार हल्का आवंलहेडा

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्राधीयान के अनुसार श्री डा.सु पिता/पत्नि विद्या कुमारी निवासी आवंलहेडा ग्राम आवंलहेडा पटवार हल्का आवंलहेडा की खाता संख्या 444 में जाति/नाम डा.सु डर विद्या दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भूअनि द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्राधीयान श्री डा.सु पिता/पत्नि विद्या कुमारी की जाति/नाम शालचन्द्र डर विद्या एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की रवीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का आवंलहेडा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।